न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेश चन्द्र मान *आर. ए. एस.*

प्रा0 पत्र	तारीख रजू	तारीख निर्णय
2/64	13.05.2019	25.06.2019

उनवान

1. सपात पुत्र अशरफ जाति मेव निवासी साधन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।
2. साहबु पुत्र अशरफ जाति मेव निवासी साधन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. असरू पुत्र उम्मेद,
2. फजरू पुत्र उम्मेद, जाति मेव निवासी साधन का बास तहसील रामगढ जिला अलवर।

..... अप्रार्थीगण

(प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण
1. श्री तैयब हुसैन एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. श्री सियाराम गुर्जर एडवोकेट – अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.06, 553 रकबा 0.10, 554 रकबा 0.01, 555 रकबा 0.43, 556 रकबा 0.64, 619 रकबा 0.06, 620 रकबा 0.03, 621 रकबा 0.08, 622 रकबा 0.09, 623 रकबा 0.18, 1058 रकबा 0.01, 1059 रकबा 0.38, 1062 रकबा 0.46, 1272 रकबा 0.48, 1289 रकबा 0.16, 1343 रकबा 0.05, 1351 रकबा 0.22, 1352 रकबा 0.22, 1360 रकबा 0.15, 1387 रकबा 0.13, 1414 रकबा 0.14, 1415 रकबा 0.14, 1416 रकबा 0.15, 1448 रकबा 0.30, 1449 रकबा 0.30, 1451 रकबा 0.15, 1484 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 27 रकबा 5.98 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में वादीगण का 1/6–1/6 भाग है तथा प्रतिवादीगण का 1/3–1/3 भाग है और इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक बंटवारा नही हुआ है और वादीगण व प्रतिवादीगण सामूहिक रूप से अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ

Scanned by CamScanner

रहे है। प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त में मुजाहिम होते है और वादीगण को उनके हिस्से में से जबरन बेदखल करने व अपना जबरन कब्जा करने को उतारू हो जाते है। जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार विवादित आराजी का विधिक बंटवारा कराने की बाबत कहा तो प्रतिवादीगण टाल बाल करते रहे। दिनांक 07.04.2019 को एक राय होकर आये और जबरन आराजी खसरा नम्बर 1059 व 1062 में से बजरी निकालने को उतारू हो गये वादीगण ने एतराज किया और कहा इस प्रकार अवैध रूप से बजरी नही निकाल सकते। इस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ झगडा किया। और कहां कि आज नही तो कल विवादित आराजी में से उपरोक्त खसरा नम्बर 1059 व 1062 में से अवैध रूप से बजरी निकाल कर रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा किया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। जबकि मौके की रूह व कागजातमाल से प्राईमा फेसाई केस व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष में है और प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा पाबन्द न किया जांने से अपार हानि भी वादी को होना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रतिवादीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वोह विवादित आराजी खसरा नम्बर 552 रकबा 0.06, 553 रकबा 0.10, 554 रकबा 0.01, 555 रकबा 0.43, 556 रकबा 0.64, 619 रकबा 0.06, 620 रकबा 0.03, 621 रकबा 0.08, 622 रकबा 0.09, 623 रकबा 0.18, 1058 रकबा 0.01, 1059 रकबा 0.38, 1062 रकबा 0.46, 1272 रकबा 0.48, 1289 रकबा 0.16, 1343 रकबा 0.05, 1351 रकबा 0.22, 1352 रकबा 0.22, 1360 रकबा 0.15, 1397 रकबा 0.13, 1414 रकबा 0.14, 1415 रकबा 0.14, 1416 रकबा 0.15, 1448 रकबा 0.30, 1449 रकबा 0.30, 1451 रकबा 0.15, 1484 रकबा 0.32 हैक्ट0 कुल किता 27 रकबा 5.98 हैक्ट0 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर से वादीगण को उनके हिस्से से जबरन बेदखल न करे व अपना जबरन कब्जा न करे व बिना बटाये विवादित आराजी को रहन, बैय व हिब्बा आदि के मुन्तकिल व मकफूल न करे व विवादित आराजी के किसी भी भाग में से बजरी आदि न निकाले व मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। जिसका विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण बहुत ही चालाक व शातिर किस्म के

Scanned by CamScanner

व्यक्ति है जिन्होने विवादित आराजी पर बैंक से अपने हिस्से की आराजी पर लोन ले रखा है तथा जिसके कुर्की व नीलामी आदेश न्यायालय के यहां से जारी है और जिस कुर्की व नीलामी की कार्यवाही से बचने के लिए वादीगण ने न्यायालय को मुगालते में रखकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ताकि कुर्की की कार्यवाही रूक जाये और स्थगन आदेश का नोट जमाबन्दी पर आया जो तथ्य काबिल गौर अदालत है। प्रतिवादीगण सीधे साधे गरीब व्यक्ति है और वोह पूर्व बंटवारा जबानी के तहत अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और प्रतिवादी सं0 2 की पुत्री की शादी है जिसको पैसों की आवश्यकता है और वोह क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढवाना चाहता है जो तथ्य वादीगण के ज्ञान में है और इन तथ्यों का इल्म वादीगण को है इस कारण उन्होने प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से यह दावा व दरख्वास्त गलत तथ्यों के साथ पेश की है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण पूर्व जुबानी बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर इस ही तरह काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी में वादीगण का 1/6–1/6 भाग है तथा प्रतिवादीगण का 1/3–1/3 भाग है और वादीगण व प्रतिवादीगण मुश्तर्का में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। और विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक बंटवारा नही हुआ है और वादीगण व प्रतिवादीगण सामूहिक रूप से अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण लडाकू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त में मुजाहिम होते है और वादीगण को उनके हिस्से में से जबरन बेदखल करने व अपना जबरन कब्जा करने को उतारू हो जाते है। जिसका उनको कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण जबरन आराजी खसरा नम्बर 1059 व 1062 में से बजरी निकालने को उतारू हो गये वादीगण ने एतराज किया और कहा आप अवैध रूप से बजरी नही निकाल सकते। इस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ झगडा किया। और कहां कि आज नही तो कल विवादित आराजी में से उपरोक्त खसरा नम्बर 1059 व 1062 में से अवैध रूप से बजरी निकाल कर रहेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने ऐसा किया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी। अतः प्रतिवादीगण को ताफैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने कटाक्ष में बहस के दौरान जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगण

Scanned by CamScanner

बहुत ही चालाक व शातिर किस्म के व्यक्ति है जिन्होने विवादित आराजी पर बैंक से अपने हिस्से की आराजी पर लोन ले रखा है तथा जिसके कुर्की व नीलामी आदेश न्यायालय के यहां से जारी है और जिस कुर्की व नीलामी की कार्यवाही से बचने के लिए वादीगण ने न्यायालय को मुगालते में रखकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ताकि कुर्की की कार्यवाही रूक जाये और स्थगन आदेश का नोट जमाबन्दी पर आ जाये। प्रतिवादीगण पूर्व बंटवारा जबानी के तहत अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और प्रतिवादी सं0 2 की पुत्री की शादी है जिसको पैसों की आवश्यकता है और वोह क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढवाना चाहती है जो तथ्य वादीगण के ज्ञान में है और इन तथ्यों का इल्म वादीगण को है इस कारण उन्होने प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से यह दावा व दरख्वास्त गलत तथ्यों के साथ पेश की है जो खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण पूर्व जुबानी बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से में आई आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर इस ही तरह काबिज है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं उभयपक्ष के विद्वान वकुलाय की बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि वादीगण ने विवादित आराजी पर बैंक से अपने हिस्से की आराजी पर लोन ले रखा है तथा जिस कुर्की व नीलामी की कार्यवाही से बचने के लिए वादीगण ने न्यायालय को मुगालते में रखकर स्थगन आदेश प्राप्त किया है। ताकि कुर्की की कार्यवाही रूक जाये और स्थगन आदेश का नोट जमाबन्दी पर आ जाये। प्रतिवादीगण पूर्व बंटवारा जबानी के तहत अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और प्रतिवादी सं0 2 की पुत्री की शादी है जिसको पैसों की आवश्यकता है और वोह क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढवाना चाहती है जिसकी ताईद में शादी कार्ड प्रस्तुत किया है जो पत्रावली में संलग्न है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को नाजायज तंग व परेशान करने की गरज से यह दावा व दरख्वास्त गलत तथ्यों के साथ पेश की है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्तें प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों शर्तें प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होती है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25.06.19

(महेश चन्द्र मान)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़(अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

Scanned by CamScanner